

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2019 / पी-967

जयपुर, दिनांक : 01.02.2019

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4186/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.11.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. प्रियंका राहरिया, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4186/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.11.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव